

**कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**

**-: संशोधन आदेश :-**

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक:-प.19(04)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक 15.10.20 की अनुपालना में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावासों/कार्यालयों में रिक्त पदों पर चयनित निम्नलिखित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित स्थान पर किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान कर, आदेश प्रसारित किये गये थे, उक्त आदेश में विन्दु संख्या 6 के अनुसार निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है ।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्त पर पद	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान	संशोधन
1	2	3	4	5	6
<b>उदयपुर</b>					
1.	श्री चेतन कुमार	रा.उ.मा.वि. पालमाण्डव, खूंजरपुर	व्याख्याता (भौतिक विज्ञान)	आवासीय विद्यालय कोटडा	ईएमआरएस, खेरवाड़ा
2.	श्री भरत कुमार मेहता	रा.उ.मा.वि. हर्षवाड़ा, तह. खेरवाड़ा, उदयपुर	व्याख्याता (हिन्दी)	ईएमआरएस, दादिया, गोगुन्दा	ईएमआरएस, खेरवाड़ा

नोट:- शेष शर्तें पूर्व आदेशों के अनुसार यथावत रहेंगी ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक 19-10-2020

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति (अन्य)/2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. शासन सहायक सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर ।
3. विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय ।
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, ।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक) ।
7. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी ।
8. संबंधित अधिकारी ।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
10. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)